यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी के माह 03.2012 से 05.2018 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री पवन कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, तथा श्री अनुज कुमार सिंघल, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (त.) द्वारा दिनांक 01.06.2018 से 05.06.2018 तक श्री पुष्कर, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-।

1). परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः इकाई के अधीन रोजगार परक व्यवसायो जैसे आशुलिपिक, कोपा आदि मे प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है तथा कौशल दक्षता हेतु निकटवर्ती स्थानो मे विभिन्न कम्पनियो/ प्रतिष्ठानो मे सम्पर्क कर अप्रेंत्सिप हेतु भेजा जाता है। इकाई के भौगोलिक अधिकार क्षेत्र मे लालकुआ, कलढुंगी, चोरगलिया, हल्द्वानी आता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
		स्थापना	गैर-स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
1	2015-16	शून्य	शून्य	82.85	74.94	19.65	18.68	-	8.88
2	2016-17	शून्य	शून्य	88.96	88.86	6.48	6.37	-	0.11
3	2017-18	शून्य	शून्य	90.10	89.01	22.88	22.28	-	1.69

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

लागू नही

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	आवंटित धनराशि	व्यय धनराशि	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
2015-16	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2016-17	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य
2017-18	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य	शुन्य

iii). इकाई को बजट आवंटन राज्य योजना अनुदान संख्या 16 के अंतर्गत, निदेशालय प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, हल्द्वानी द्वारा किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई 'C' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

a). प्रमुख सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन , उत्तराखंड, देहरादून

b). निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

c). अपर निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

d). उप निदेशक, प्रशिक्षण, हल्द्वानी

e). प्रधानाचार्य, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03.2012 से 05.2018 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी** के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी । यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 10.2015, 08.2016 एवं 03.2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया । प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- 1 केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त ब्याज रहित ऋण रु 2.50 करोड़ से योजना के संचालित मे उदासीनता का प्रकरण पाया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी के अभिलेखो की जांच मे प्रकाश मे आया कि शासनादेश स. 1715/1111/75-प्रशि./2008, दिनांक 29.02.2008 द्वारा औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी का चयन केन्द्र सरकार की योजना " 1396 राजकीय औध्योधिक प्रशिक्षण संस्थानो का सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से उच्चीकारण के अधीन किया गया तथा इसके संचालन के लिए इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी(आईएमसी) को वित्तीय अधिकार प्रदत्त करने कि बात काही गयी।

लेखापरीक्षा मे उक्त प्रकरण की प्रगति रिपोर्ट की जांच मे पाया गया कि गाइडलाइंस के अनुसार गठित कमेटी आईएमसी मे अध्यक्ष के रूप मे अशोक ले-लैंड के पदाधिकारी तथा सदस्य सचिव ..... संस्थान के पदाधिकारी को नामित किया जाना पाया गया। योजना के तहत वर्ष 2008 मे औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी को 2.5 करोड़ ब्याज रहित ऋण भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया परंतु 8 वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने के उपरांत योजना के अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण को सुदृढ़ बनाए जाने के दृष्टिकोण से आवश्यकतानुसार आईटीआई मे वर्ष 2017 मे एक कोर्स कोपा (Computer programming assistant) का प्रशिक्षण प्रारम्भ किया गया जिसमे प्रस्तुत अभिलेखो के अनुसार 2.5 करोड़ मे से लेखापरीक्षा तिथि तक उदेशय की पूर्ति के लिए मात्र रु 34.87 लाख ही व्यय किया जा सका। इस संबंध मे योजना का सही क्रियान्व्यन के लिए समय समय पर आईएमसी की बैठक आहूत की जानी थी परंतु साक्ष्य स्वरूप 2017 के पश्चात की बैठक रिपोर्ट लेखापरीक्षा मे परस्तुत नही की जा सकी।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि समन्वय कि कमी के कारण कोर्स विलम्ब से प्रारम्भ किया गया

उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि सरकार ने कार्य मे गति प्रदान करने के लिए पीपीपी मोड के अंतर्गत स्वतंत्र कमेटी आईएमसी गठित कि थी जिसे वित्तीय अधिकार प्रदत्त कर हस्तक्षेप से मुक्त रखा गया था, बैठक का अंतराल लंबा होना तथा जॉब ओरियंटेड कोर्स 08 वर्ष बाद प्रारम्भ करने इतनी लंबी अवधि बीत जाने के बाद भी उड़ेश्श्य पर रु 34.87 लाख का न्यून व्यय स्वत: प्रमाणक था कि योजना के संचालन मे उदासिनता बरती गयी।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग - दो (ब)

प्रस्तर:- 1 अनियमित व्यय रु 3.69 लाख।

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम संख्या 10(2) के अनुसार:

"Ordinarily, rate contracts may be concluded for one year at a time. However, in case of goods which are subject to frequent price fluctuation or where prices tend to decline overtime, the validity of the rate contract may be kept for a shorter period and a close watch be kept over the market price of such goods. In special circumstances, the Department with the concurrence of Finance Department may be authorised to purchase goods on the basis of rate contracts, concluded by the central purchase organization of Government of India (For example DGS&D)"

कार्यालय प्रधानाचार्य औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी द्वारा रखरखाव किए गए आकस्मिक पंजिका की जांच मे पाया गया कि इकाई को ग्रांट संख्या 31 के अंतर्गत मद संख्या 42 मे आवंटित धनराशि रु 3.75 लाख से इकाई द्वारा डीजीएसएनडी से अनुबंधित फर्म M/S ग्लोबल इंफोकम लिमिटेड नयी दिल्ली को सीधे आपूर्ति आदेश जारी न कर लिपि enterprises हल्द्वानी के माध्यम से नेगोशिएशन कर रु 3.69 लाख का इलेक्ट्रोनिक तथा इलेक्ट्रिकल्स गूड्स प्राप्त किया गया, जबकि नियमानुसार बाजार से प्रतिस्पर्धा दर पर क्रय करने की प्राथमिकता पर इकाई को ज़ोर देना चाहिए था। विशेष परिस्थिति मे वित्त विभाग की अनुमति से डीजीएसएनडी दर से क्रय की अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए थी, जो लेखापरीक्षा मे नही पाया गया।

लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर इकाई द्वारा उत्तर दिया कि संबन्धित स्तर पर निर्णय निदेशालय स्तर पर लिया गया था, तथ्यो से उच्चाधिकारियों को अवगत कराया जाएगा।

उत्तर मान्य नही है क्योकि इकाई ने पहली त्रुटि डीजीएसएनडी फार्म से सीधे नेगोशिएसन न कर माध्यम का सहारा ली जो नियमतः उचित नही था दूसरी त्रुटि प्रतिस्पर्धा दर प्राप्त करने मे रुचि नही दिखायी गयी जो शासकीय हटी के अनुकूल नही था तथा बिना वित्त विभाग के पूर्व अनुमति के मनमाने ढंग से डीजीएसएनडी दर से क्रय का प्रकरण पाया गया।

अत: प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ब)

प्रस्तर :- धनराशि रु 2.87 लाख का अनियमित व्यय।

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला), हल्द्वानी के मशीनों एवं उपकरणो की जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्तराखण्ड के विभिन्न औधौगिक प्रशिक्षण संस्थानो के लिए निदेशालय स्तर से वर्ष 2015-16 से विभिन्न चरणों मे केन्द्रीय क्रय (Central Purchase)के माध्यम से मशीनों एवं उपकरणो का क्रय किया गया जिस हेतु विभिन्न औधौगिक प्रशिक्षण संस्थानो से मांग पत्र (demand letter/ shortage of tools & machine)मँगवाए गए जिसके आधार पर मशीनों एवं उपकरणो का क्रय डीजीएसएनडी दरो पर विभिन्न मैसेर्स/supplier/फ़र्मों से केन्द्रीय क्रय कर संस्थायो को आबंटित किया गया तथा धनराशि रु 2.87 लाख की मशीनों एवं उपकरणो का क्रय निदेशालय स्तर से कर औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला), हल्द्वानी को वितरित किए गए थे। उक्त धनराशि की मशीनों एवं उपकरणो की स्टॉक पंजिका एवं इंडेंट(Indent) पंजिका की जांच मे पाया गया कि धनराशि रु 2.87 लाख की मशीनों एवं उपकरण जो कि electronic व्यवसाय हेतु क्रय की गयी है जो ..... से संचालित नही पाया गया जिस कारण धनराशि रु 2.87 लाख के उपकरण संस्थान मे उसकी प्राप्ति तिथि मार्च 2017 से निष्क्रिय पड़े हुये है। आगे जांच मे यह पाया गया कि संस्थान मे संचालित अन्य व्यवसायो के संदर्भ मे कोई माँग पत्र/ requisition/shortage letter निदेशालय को प्रेषित नही किया गया केवल electronic व्यवसाय हेतु मांग पत्र अनुदेशकों से मांगे गए थे। आगे निदेशालय के पत्रांक संख्या 15028-32/Dteu/tender/pur order/2016 , दिनांक 02/11/2016 के अनुरूप स्पष्ट वर्णित है कि “If there is any change in the requirement of concerning ITI and need of the ITI as per the revised syllabus by DGENT, the same will be communicated to you (messers) for immediate implementation in the delivery of items.” इस संबंध मे मशीनों एवं उपकरणो को हस्तगत करने एवं संबन्धित कार्यवाही के हेतु कोई प्रयास संस्थान द्वारा नही किया गया फलस्वरूप रु 2.87 लाख के मशीनों एवं उपकरण विगत एक वर्ष से अधिक समय से अक्रियाशील पड़ी हुई है।

लेखापरीक्षा द्वारा उक्त प्रकरण पर इंगित किए जाने पर उत्तर मे बताया गया कि संबन्धित मशीने वर्तमान मे क्रियाशील नही है भविष्य के लिए संबन्धित मशीनों एवं साज सज्जा किसी अन्य संस्थान की आवश्यकता के आधार पर निर्धारण कर अवगत कराया जाएगा तथा electronic व्यवसाय को संचालित करने संबन्धित आपत्ति पर इकाई ने बताया कि इस संदर्भ मे निदेशालय स्तर से कोई पत्राचार पूर्व मे नही किया गया भविष्य के लिए उच्च अधिकारियों से संपर्क कर सूचित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नही पाया गया क्योकि इकाई की अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण धनराशि रु 2.87 लाख की मशीने एवं उपकरण विगत 1 वर्षो से अक्रियाशील पड़ी हुई है तथा उदासिनता स्वरूप इकाई द्वारा उक्त व्यवसाय संचालित करने हेतु कोई प्रयास इकाई द्वारा किया गया।

अतः प्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (ब)

प्रस्तर - विभाग द्वारा धनराशि रु 12.90 लाख के वित्तीय वर्ष 2017-18 के लघु निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यो के त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करना एवं कार्यदायी संस्था को रु 38,700/- धनराशि का अधिक भुगतान किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियम 2008 के नियम संख्या 42 के अंतर्गत "A group of works which forms one project shall be considered one work, Group of Works and technical, administrative and financial approval from the competent Forming One authority should be taken as one work. The work should not be split just Project to avoid the procedure of getting the needed approval of the higher authority" तथा नियम संख्या 43 मे "Procedure for execution of work by department" का वर्णन किया गया है एवं उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या 740/VII/14-680(श्रम)/2002/टी सी-II, दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार निर्माण कार्यो की लागत का 1 प्रतिशत श्रमिक उपकर (labour cess) लिए जाने का प्रावधान है

कार्यालय औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला), हल्द्वानी के लघु निर्माण एवं अनुरक्षण संबन्धित पत्रावलीयो की जांच मे तथ्य प्रकाश मे आया कि निदेशालय के आदेश संख्या 3456-डीटीएयू/ प्रशिक्षण/लघु नी॰/अनु॰/2018, दिनाक 14.03.2018 द्वारा विभिन्न संस्थानो को लघु निर्माण एवं अनुरक्षण संबन्धित कार्य किए जाने हेतु धनराशि रु 49.33 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी। संबन्धित आदेश मे सिविल कार्यो के निष्पादन हेतु कोई मानक अथवा शर्तो का उल्लेख नही किया गया जिसके तहत उक्त धनराशि का व्यय किया जाए और न ही कार्यदायी संस्था हेतु व्यय किए जाने हेतु कोई दिशानिर्देश प्रदान किए गए। उक्त आदेश के अनुक्रम मे रा. औ. प्र. सं.(महिला) को वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जनवरी 2018 को लघु निर्माण एवं अनुरक्षण मदों हेतु धनराशि 12.90 लाख आबंटित किए गए जिसके सापेक्ष रू 12.89 लाख का व्यय इकाई द्वारा अंडरग्राउंड वाटर टैंक निर्माण, दो फेब्रिकटेड कमरे का निर्माण, निदेशालय के प्रथम तल पर अनुरक्षण कार्य आदि पर किया गया। उक्त कार्य कार्यदायी संस्था कुमाउ मण्डल विकास निगम द्वारा डीएसआर रेट के आधार पर किए गए। अभिलेखो की जांच मे पाया गया की लघु निर्माण कार्यो हेतु तैयार किए गए अगणना मे एसओआर के अतिरिक्त, cost Index 19.60 प्रतिशत Estimate तैयार करते समय जोड़ा गया था तथा अगणना मे Labour Cess (1 प्रतिशत) संबन्धित कोई प्रावधान Estimate तैयार करते समय नही किया गया ओर न ही इकाई द्वारा संबन्धित कार्यदायी संस्था से 1% Labour cess कि कटौती कि गयी। आगे जांच मे पाया गया कि भुगतान करते समय कार्यदायी संस्था से आयकर अधिनियम के धारा 194सी के अनुसार 2% टीडीएस कटौती नही कि जा रही थी। उक्त कार्यो हेतु इकाई द्वारा कार्यदायी संस्था को एक मुस्त धनराशि के रूप मे रु 12.89 लाख का पूर्ण भुगतान किया गया। जबकि उत्तराखंड शासन के GO संख्या 740/VIII/14-680(श्रम)/2002 टी॰ सी॰-II , दिनांक 13 अगस्त 2014 के अनुसार 10 लाख एवं 10 लाख से अधिक के निर्माण लागत वाले कार्यो पर labour Cess लगाया जाना अनिवार्य है।

अतः निर्माण कार्यो पर 1 प्रतिशत labour cess नही लगाए जाने के कारण रु 12,900/- का अधिक भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया एवं 2% टीडीएस कटौती नही होने से रु 25,800/- कि शासकीय हानि हुई अर्थात कुल रु 38,700/- अधिक भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया जिसकी वसूली कि जानी वर्तमान मे अपेक्षित है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने उत्तर मे बताया है कि "निदेशालय स्तर से ही लघु निर्माण / अनुरक्षण कार्यो पर व्यय अनुमति निदेशालय से प्राप्त की गयी तथा टीडीएस एवं labour cess कटौती संबन्धित आपत्ति के संदर्भ मे इकाई ने उत्तर मे बताया कि भविष्य हेतु नोट किया।

उत्तर मान्य नही है क्योकि विभाग द्वारा उपरोक्त नियमो का उल्लंघन करते हुये त्रुटिपूर्ण आगणन तैयार करने के कारण तथा टीडीएस कटौती नही करने के कारण रु 38,700/- का अतिरिक्त भुगतान कार्यदायी संस्था को किया गया है जिसकी वसूली वर्तमान मे लम्बित है।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या**	**भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या**	**STAN**	**TAN**

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	**प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण**	**अनुपालन आख्या**	**लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी**	**अभ्युक्ति**

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान(महिला), हल्द्वानी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

क्र0सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्रीमती स्मिता अग्रवाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ महिला हल्द्वानी	लेखापरीक्षा अवधि से 22.08.2017 तक
2	श्री जे. एस. जलाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ महिला हल्द्वानी	23.08.17 से 16.02.2018 तक
3	श्री मयंक अग्रवाल	प्रधानाचार्य रा॰ औ॰ प्र॰ स॰ महिला हल्द्वानी	17.08.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका, उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय, औधौगिक प्रशिक्षण संस्थान (महिला), हल्द्वानी** को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून 248195 " को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.